न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 43/2023

उनवान

1.अर्जुनलाल पुत्र सुन्दरलाल
2.मुरलीधर पुत्र सुन्दरलाल
3.महेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल
4.धूणीलाल पुत्र प्रभात
5.घोलुराम पुत्र प्रभात
6.रामकुंवार पुत्र प्रभात
7.रामेश्वर पुत्र प्रभात
8.शम्भुदयाल पुत्र प्रभात
9.रामेश्वरी देवी पत्नी शम्भुदयाल
समस्त जाति अहीर निवासी प्रतापपुरा उपतहसील मनोहरपुर जिला जयपुर(राज)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये (भू–धारक) उपतहसीलदार मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. कालुराम पुत्र भगवानसहाय
3. मालीराम पुत्र भगवानसहाय
4 चांद देवी पत्नी हनुमानसहाय
5 छोटी गुर्जर पत्नी विनोद कुमार
6 हंसा देवी पत्नी बनवारीलाल
समस्त जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा उपतहसील मनोहरपुर जिला जयपुर(राज)
7 गजाधर पुत्र नानगराम जाति ब्राहमण निवासी प्रतापपुरा उपतहसील मनोहरपुर जिला जयपुर(राज)
8 अशोक कुमार पुत्र गिरधारी
9 कैलाशचंद पुत्र गिरधारी
10 माली देवी पत्नी गिरधारी
11 रामकरण पुत्र गिरधारी
12 संतोष देवी पुत्री गिरधारी
13 कालु पुत्र गोपाल
14 सीताराम पुत्र छोटु
15 प्रहलाद पुत्र प्रभात
16 मुकेश पुत्र प्रभात
17 प्रहलाद पुत्र छीतर
18 महावीर प्रसाद पुत्र सेडु
19 यादराम पुत्र मंगला
समस्त जाति यादव निवासी प्रतापपुरा उपतहसील मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 6.3.2025

उपस्थितः– प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री खेमचंद यादव

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैकि हाल आराजी खाता संख्या सं0–4 खसरा नं0 4/2.24 कुल किता –1 कुल रकबा 2.24 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का रहपुर भू0अ0नि0 मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसके ीगण खातेदार काश्तकार है। यह कि हाल आराजी खाता संख्या –5 के खसरा नं0 753/1.20 कुल किता –1 कुल रकबा 1.20 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का हरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित हैं जिसके प्रार्थीगण खातेदार श्तकार हैं यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर धीरे धीरे अनाधिकृत तेकमण किया जा रहा हैं तथा बाला बाला सींच में घुस रहे थे तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण –1 व 2 के यहां सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया तो अप्रार्थीगण तहसीलदार ोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/80 दिनांक 05.05.2023 की पालना रिपोर्ट नांक 29.05.2023 का खसरा नं0 1775 व 1797 से जरिब चलाकर खसरा नं0 1753 की ी सीमा पुख्ता की गई तथा इसके बाद खसरा नं0 1746व 1753 की सीमायें बताई गई था सीमाचिन्ह बताये गये तथा मोतबीरान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये थे जिससे र्थीगण संतुष्ट थे तथा सीमा का ज्ञान हो चुका था । पडौसी खातेदारन ने धीरे धीरे पुनः र्थीगण की भूमि दबाना व अतिकमण प्रारम्भ कर देने से आपस में विवाद होने की पूर्ण म्भावना होने से यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अंत में प्रार्थीगण ने नेवेदन किया प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 29.05.2023 के सीमाज्ञान के नुसार स्थायी सीमांकन जरिये पुलिस इमदाद से करवाने के आदेश प्रदान करे ।

करण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 की ओर से श्री खेमचंद अधिवक्ता वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया की उक्त खसरा नं0 1758 रकबा 1.20 हैक्टर में से 25 ऐयर भूमि सडक की भूमि सहित उत्तर के भाग में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 को अदला बदली में दी हैं जिसमें से 25 ऐयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 को खसरा नं0 1751 व 1752 में सें जरिये विकय पत्र स्थानान्तरित कर दी हैं । प्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 हमेशा अप्रार्थीगण को 15 ऐयर भूमि अर्जुन पुत्र भौरा से खरीदकर सीधे ही अप्रार्थी संख्या 17 से 19 के नाम करा देगें तथा 10 ऐयर भूमि अपनी खातेदारी में से करा देगे । यह अदला बदली 20 वर्ष से की हुई हैं खसरा नं0 1753 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 17 से 19 आवला का प्लाटेंशन व चारो तरफ सीमेंट की खम्बी तार जार लगाकर सभी प्रार्थीगण की उपस्थिति एंव सहमति से 1999 में करने से काबिज चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 व आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पेश कर मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार ने मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का से करवाकर प्रेषित की गई जिसमें खसरा नं0 1753 के सडक से उत्तरी पश्चिम भाग पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त व आवले के पेड लगे होना जाहिर किया ।

प्रकरण बहस हेतु नीयत किया जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुये प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर मौके पर अदला बदली से अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 काबिज होना जाहिर करते हुए प्रार्थीगण केद्वारा

उपखण्ड अधिकारी
शा... (जयपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

ढी के आदेश से कब्जा प्राप्त करने का आधार होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका ान का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट क 06.02.2025 के मुताबिक खसरा नं0 1753 में स्थित डामर सडक के उत्तरी म भाग में दीगर व्यक्तियों का कब्जा व आवले के पेड लगे हुये होना बताया तथा दस्जावेज/जवाब आदि के अवलोकन से भी जाहिर हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण में के संबंध मे विवाद हैं । प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण की बहस पूर्ण रूप से चस्पा है, चूंकि कब्जा संबंधी विवाद को लेकर यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया र पत्थरगढी की आढ में विवादग्रस्त आराजी का कब्जा लेने हेतु पेश करना बखूबी ात होता है, जबकि एक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि के कब्जे हेतु राजस्थान तकारी अधिनियम के तहत विधिवत चाराजाई कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र के बावजूद यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा प्राप्त करने का उद्देश्य बेत होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत थरगढी का कब्जा सम्बन्धी विवाद होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया ाता ।पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज0